

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arctsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. धुसा.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी-दिनांक- 29.05.2026

00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहायिका
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टर परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

कं./विपणन/2026/ 307
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्यूटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. नवागढ़.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहायिका
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहायिका विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहायिका
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्षा कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क. विपणन/2026/ 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. विजयपुर
जिला- मुंगेली (छ.ग.)


विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।


अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026

क. विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

कं./विपणन/2026/ 307
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...देदन.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टर परिसर कक्षा क्रं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. (सं.सं.सं.)
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवसों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्षा कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

ज. विपणन/2026/ 307
प्रति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्यूटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...तरवरपुर.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्रं./विपणन/2026/ 307
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. बरेला
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्षा कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 307
प्रति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...भस्तीकला
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विषय/2026/ 307
प्रति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद
वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ
विषय वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद
भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए
अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों
को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती
है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक
नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त
करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विषय/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 907
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. ज.स.स.स.
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 907
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोस्मी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टर परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 907
जति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. ~~ए.ए.के.ए.~~
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 907
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहायकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

कं./विपणन/2026/ 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहाकारी समिति मर्या...
जिला- मुंगेली (छ.ग.)


विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहाकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।


अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहाकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहायकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहाकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहाकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहायकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहायकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहाकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टर परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र. / विपणन / 2026 / 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी / प्रभारी संस्था प्रबंधक / कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. लोदा.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण / वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण / वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण / वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण / वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य / दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण / वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र. / विपणन / 2026 / 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली / पथरिया / लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arccsmungeli21@gmail.com)

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...जेवरा.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्रं./विपणन/2026/ 907
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. खिलतरा.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 907
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्रं./विपणन/2026/ 307
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या... गीष्टा
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टरेट परिसर कक्षा कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क. / विपणन / 2026 / 307
प्रति

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026


प्राधिकृत अधिकारी / प्रभारी संस्था प्रबंधक / कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या... को दवा
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण / वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण / वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण / वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण / वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य / दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण / वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026

पृ.क. / विपणन / 2026 / 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली / पथरिया / लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 307
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या...
जिला- मुंगेली (छ.ग.) **लाभागापा**

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संदर्भ :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्षा कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क. विपणन/2026/ 907
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. ~~निरजाम~~
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क./विपणन/2026/ 907
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्र0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क्र./विपणन/2026/ 307
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या देदाधौरा
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी दिनांक- 29.05.2026

00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रूचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29.05.2026

पृ.क्र./विपणन/2026/ 307
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली

कार्यालय-सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला-मुंगेली (छ0ग0)
कलेक्टर परिसर कक्ष कं0 224, 228 (ई-मेल- arcsmungeli21@gmail.com)

क./विपणन/2026/ 907
प्रति.

मुंगेली, दिनांक 29.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी संस्था प्रबंधक/कम्प्यूटर ऑपरेटर
सेवा सहकारी समिति मर्या. धरदई.....
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- संस्था द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध कम खाद भंडारण/वितरण करने के संबंध में।
संदर्भ :- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र मुंगेली द्वारा प्रस्तुत खाद
भंडारण/वितरण की जानकारी-दिनांक- 29.05.2026


00


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद वितरण किया जाना अपेक्षित था किन्तु संदर्भित जानकारी के अवलोकन से यह पाया गया कि संस्था में खरीफ विपणन वर्ष 2026 में संस्था द्वारा खाद भंडारण/वितरण के विरुद्ध अपेक्षित मात्रा से कम खाद भंडारण/वितरण किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, इस प्रकार कार्य में रुचि न लेना कार्य/दायित्वों के प्रति हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति विभागीय निर्देशों के विपरीत है तथा कृषकों को समय में खाद वितरण न करना अत्यंत गंभीर विषय है जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को निर्मित करती है।

अतः खाद भंडारण/वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के संबंध में 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा समाधानकारक नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को पद से मुक्त करने तथा प्रबंधक व ऑपरेटर के निलंबन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क./विपणन/2026/ 907
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला- मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
02. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक परिक्षेत्र- मुंगेली को सूचनार्थ।
03. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड- मुंगेली/पथरिया/लोरमी की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली
मुंगेली दिनांक 29-05-2026


सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मुंगेली